FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0034 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/02/2026 12:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/08/1996 **Date To (दिनांक तक):** 07/04/2022

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/02/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/02/2026 12:25:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 340 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** RAJSAMAND

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Ratan Singh Rajpurohit

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/01/1972 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	18, reserve police line, Udaipur, Girwa, SURAJPOLE, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	18, reserve police line, Udaipur, Girwa, SURAJPOLE, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NAIN SINGH SODHA		पिता:KISHAN SINGH SODHA	1. 2/145,VIDYADHAR NAGAR,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,17,34,204.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,17,34,204.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, वाक्यात मामला इस प्रकार है कि परिवादी श्री निर्मल कुमार सैन निवासी रेलवे स्टेशन के पास, कांकरोली जिला राजसमंद से आरोपी श्री नैनसिंह सोढा डीटीओ के कहे अनुसार आरोपी श्री वजेराम ने परिवादी के पास आये लोगों के लाईसेंस निर्माण प्रक्रिया में 2,61,500 रूपये की मांग करना तथा दिनांक 07.04.2022 दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी श्री वजेराम गुर्जर ने परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत स्वरूप ग्रहण करने पर पकड़ा गया बाद ट्रैप कार्यवाही आरोपीगण के विरुद्ध ब्यूरो में प्रकरण संख्या 122/2022 पंजीबद्ध कराया गया। उक्त ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री नैनसिंह सोढा सरकारी आवास तथा विद्याधर नगर जयपुर स्थित रिहायशी मकान की खाना तलाशी स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष ली जाकर मौके पर मिले दस्तावेजात राशि इत्यादि की फर्द बनाई जाकर कीमत फर्द में अंकित की गई है।

फर्द में अंकित तथ्यो के मुकाबले संकलित दस्तावेजी साक्ष्य से पाया गया कि आरोपी श्री नैनसिंह सोढ़ा दिनांक 21.08.1996 से परिवहन विभाग में परिवहन उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त होकर विभागीय पदौन्नती से परिवहन निरीक्षक के पद पर वर्ष 2003 में पदौन्नत हुआ तथा माह अक्टूबर 2016 में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर पदौन्नत हुआ तथा दिनांक 31.05.2023 को राज्य सेवा से सेवानिवृत हो गया है । आरोपी मूल गांव जसाई तहसील व जिला बाडमेर का रहने वाला है तथा वर्ष 1990 से ही बाहर रहता हैं । आरोपी के पिता श्री किशनसिंह रेल्वे विभाग में जमादार के पद पर केंद्रीय सेवा में पदस्थापित रहकर वर्ष 1970 में सेवानिवृत हुए। आरोपी पांच भाई व चार बहनें है, जिसमें सबसे छोटा आरोपी है तथा आरोपी का विवाह दिनांक 19.11.1992 में श्रीमती बृजेश सोढा पुत्री श्री भंवरसिंह शेखावत निवासी चिराणा तहसील उदयपुरवाटी जिला सीकर से हुआ है। आरोपी के एक पुत्री सुश्री अनामिका (09.09.1994) एवं दो पुत्र श्री नागेन्द्रसिंह (13.02.1996) एवं श्री यतेन्द्रसिंह (06.06.2001) है।

आरोपी श्री नैनसिंह सोढ़ा वर्तमान में वर्ष 2006 से प्लांट नम्बर 145 सेक्टर 02 विद्याधर नगर जयपुर में स्थित मकान पर निवास करना पाया गया है। उक्त प्लांट व मकान वर्ष 2006 में आरोपी की सासु श्रीमती गीतेश कंवर द्वारा जरिये दान पत्र आरोपी की पत्नि श्रीमती बृजेश सोढा को दिया गया है। आरोपी नैनसिंह सोढा के ससुर श्री भंवरसिंह भारतीय सेना में वाहन चालक के पद पर तैनात रहे थे और सेवानिवृति के पश्चात् राजस्थान सरकार में वाहन चालक के पद पर पदस्थापित रहे थे तथा माह मई 2021 में मृत्यु हो गई। आरोपी श्री नैनसिंह सोढ़ा परिवाहन विभाग के विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित रहा है तथा आरोपी राजकीय सेवा से पूर्व विभिन्न प्राईवेट संस्थाओ में कार्य किया है जिससे आय प्राप्त बाबत् वेतन विवरिणिका की प्रतियां प्रस्तुत की गई है। आरोपी ने अपने अभ्यावेदन में बताया कि उसके ससुर श्री भंवरसिंह राजकीय सेवा में थे तथा उसकी सासु श्रीमती गीतेश कुंवर भी साथ रहती है श्री भंवरसिंह कैसंर बीमारी से ग्रसित थे जिनकी देखभाल आरोपी व उसकी पत्नि द्वारा किया गया तथा बच्चो की शिक्षा संबधी भी व्यय आरोपी के ससुर द्वारा किया जाना बताया है तथा वर्तमान में भी श्रीमती गीतेश कुंवर साथ रह रही है। आरोपी के रिहायशी मकान नम्बर 2/145 विद्याधर नगर जयपुर को उपहार स्वरुप श्रीमती गीतेश कुंवर द्वारा आरोपी की पत्नि श्रीमती बृजेश सोढा को दिया गया था जिस संबध में श्रीमती गीतेश कुंवर द्वारा एक शपथ पत्र भी दिया गया है तथा आरोपी की पत्नि श्रीमती बृजेश सोढा वर्ष 2003-04 से आयकर दाता है जिसके द्वारा वर्ष 2003-04 से 2022-23 तक की अवधी में किये गये व्यवसाय से प्राप्त कुल आय 55,48,478 रुपये का आयकर रिटर्न विवरिणिका की प्रतियां प्रस्तुत की गई है तथा चैक अवधी में आरोपी व उसकी पत्नि द्वारा क्रय की गई परिसम्पतियां को पुनः बेचान करने से प्राप्त आय बाबत् दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

आरोपी श्री नैनसिंह की पत्नी श्रीमती बृजेश सोढा की आयकर विवरिणिका का अवलोकन किया गया तो उसके द्वारा अपनी आय ट्युशन पढ़ाने, ट्रेडिंग, जमा राशि पर ब्याज व किराये इत्यादि से आय प्राप्त होने का अंकन है। दिनांक 07.04.2022 को आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी के दौरान आरोपी के रिहायशी मकान के बेसमेन्ट भाग को श्री मोहम्मद फरान को 25,000 रुपये मासिक किराये पर देने बाबत् दिनांक 24.04.2018 का मूल किरायानामा बरामद हुआ था तथा आरोपी की पत्नी के ग्राम हाडोता जिला जयपुर में क्रय की गई भूमि जो खाना तलाशी रिपोर्ट के प्रपत्र ब में क्रम संख्या 24 से 28 तक अंकित से संबधित है, जिस संबध में तलाशी के दौरान एक मूल इकरारनामा बरामद हुआ है, जो उक्त भूमि व्यवसायिक गार्डन से संबधित है, उक्त इकरारनामा अनुसार आरोपी की पत्नी श्रीमती बृजेश सोढा द्वारा श्री मोहनलाल जांगिड़ को उक्त गार्डन के संचालन पर प्राप्त होने वाली आय का 75 प्रतिशत हिस्सा श्रीमती बृजेश सोढा को एवं 25 प्रतिशत

हिस्सा श्री मोहनलाल जांगिड का होने का अंकन है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती बृजेश सोढा को मकान किराया व व्यवसायिक गार्डन से आय प्राप्त होना स्वभाविक है।

आरोपी द्वारा बच्चो की शिक्षा पर व्यय उसके ससुर व सासु द्वारा किया जाना अपने अभ्यावेदन में बताया गया है तथा बच्चो की शिक्षा पर उसके सास-ससुर द्वारा किये व्यय बाबत् श्रीमती गीतेश कुंवर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । खाना तलाशी में आरोपी व उसकी पत्नि द्वारा क्रय की गई परिसम्पतियों पर व्यय व बेचान की गई संपत्तियो से आय व फर्द खाना तलाशी में अंकित संपत्तियो पर किया गया व्यय का ब्योरा प्रपत्रों में अंकित किया गया है।

श्रीमान् को पुर्व में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के क्रम में श्रीमान के कार्यालय पत्र क्रमांक- 2516-17 दिनांक 27.09.2023 के ऐतराजो की बिन्दुवार पुरक रिपोर्ट विवरण प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं-

1. सम्पत्ति परिशिष्ठ के क्रम संख्या 49 एसबीआई बैंक खाता संख्या 61261194651 धारक श्री यतेन्द्रसिंह सोढा के नाम ही है, सम्पत्ति परिशिष्ठ के क्रम संख्या 49 पर एवं फर्द खाना तलाशी मकान नम्बर 2/145, विद्याधर नगर जयपुर, मकान आरोपी श्री नैनसिंह की दिनांक 07.04.2022 को ली गई जिसकी फर्द के क्रम संख्या 36 पर खाता संख्या दर्ज किया गया है। वो सहवन से गलत हो 61261194651 की जगह 61251194651 दर्ज कर दिये है यतेन्द्रसिंह के बयान एवं बैंक रिकॉर्ड से उक्त खाता श्री यतेन्द्रसिंह पिता नैनसिंह सोढा भारतीय स्टेट बैंक शाखा सेक्टर-01, विद्याधर नगर जयपुर में हो उक्त खाते में दिनांक 07.04.2022 तक शेष राशी 1,69,914/- रूपये जमा है।

2. सम्पत्ति परिशिष्ठ के क्रम संख्या 53 पर अंकित देना बैंक खाता संख्या की चैक बुक धारक श्रीमति बृजेश सोढा अंकित है एवं किमत के कॉलम में खाता क्रम संख्या 45 से सम्बंधित हो बैंक ऑफ़ बडौदा में मर्ज होना लिखा जो सही हो सहवन से किमत के कॉलम में खाता क्रम संख्या 58 के स्थान पर 45 लिखा गया है। उक्त खाते में दिनांक 07.04.2022 को अन्तिम शेष राशी 47,917/- रूपये है।

GSTIN 08AAQFC6652AIZG, CINCO COMPANY आरोपी पुत्र श्री यतेन्द्रसिंह पिता नैनसिंह सोढा एवं चैतन पिता श्री अजय करनावट जैन निवासी त्रिमुर्ति सर्कल जयपुर द्वारा वर्ष अगस्त 2021 में परदे, विण्डो ब्लाईण्ड, परदो की एसेसरिज सम्बंधित खरीद ऐव रिटेलिंग के लिये CINCO COMPANY खोली थी जिसमें 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी हो 10,000/- रूपये निवेश किया था उक्त कम्पनी को अप्रैल-2024 में रजिस्ट्रेशन क्लोज कराकर मिले मुनाफे के 40,000/- रूपये आधा-आधा दोनो भागीदारो ने बांट लिया। कम्पनी पुरी तरह से बंद कर दी। जिस सम्बंध में जांच बयान एवं कम्पनी डीड की प्रति ली गई है।

3. सम्पत्ति परिशिष्ठ के क्रम संख्या 65 मे आरोपी के सरकारी आवास नम्बर II /2 राजसमंद की खानातलाशी में मिली राशी 1,30,010/-रूपये आरोपी के सर्वेन्ट श्री पुखराज उर्फ पुखाराम पिता श्री लूनाराम पटेल निवासी निम्बला जिला जोधपुर की होना जांच बयान पुखाराम, उसके ससुर केवलराम, माँ चुकीदेवी व किसान क्रेडिट कार्ड एवं दि-जोधपुर सेन्ट्रल काँ-ओपरेटिव बैंक लि. लूनी, जोधपुर के रिकॉर्ड से उक्त राशी आरोपी नैनसिंह की नही हो पुखराज उर्फ पुखाराम के रिश्तेदारों की होना एवं आरोपी के वहाँ कार्य करने के बदले 7000/- मासिक वेतन मिलना पुखराज के बयानों से ताईद होता है।

4. आरोपी की पत्नि श्रीमति बृजेश सोढा की आय वर्ष 2003-04 से 2022-23 तक आयकर विवरण के अनुसार प्राप्त आय 55,48,478/-रूपये मानी गई है। उसकी गणना कर व्यय राशी में सम्मिलित की जाये। आरोपी की पत्नि श्रीमति बृजेश सोढा के आयकर विवरण के अनुसार ट्युशन पढाने, ट्रेडिंग, जमा राशी पर ब्याज एवं किराये इत्यादि से आय प्राप्त होने का अंकन है । आरोपी की पत्नि श्रीमति बृजेश सोढा ने शिक्षा कहा तक गृहण कर रखी है। अध्यापन के सम्बंध में कोई डिग्री/डिप्लोमा ले रखा है या नही

श्रीमति बृजेश सोढा के शिक्षा एवं डिग्री/डिप्लोमा की जांच की गई तो श्रीमाति बृजेश सोढा ने कक्षा 10वीं तक अध्ययन कर रखा है, इनके पास कोई डिग्री/डिप्लोमा नही है। इन्होने अपने बयान में बताया कि छोटे बच्चों के ट्युशन एवं सिलाई का काम सिखाने का कार्य करने से आय होना बताया है।

5. आरोपी के आलोच्य अवधी में सकल आय में से आयकर कटोती करने के पश्चात शेष राशी का 1/3 भाग असत्यापन योग्य राशी मानकर नवीन गणना कर तालिका में दर्ज किया गया है।

6. श्रीमति गीतेश कंवर पत्नि भंवरसिंह निवासी प्लॉट नम्बर सी-21 आबावाडी, जयपुर आरोपी की सास होकर दिनांक 03.05.2006 को मकान न. 2/145 विद्याधर नगर जयपुर अपनी पुत्री श्रीमति बृजेश कंवर पत्नि श्री नैनसिंह सोढा को गिफ्टडीड किया है। श्रीमति गीतेश कंवर द्वारा आयकर विवरण में गिफ्टडीड का उल्लेख किया है या नही

उक्त बिन्दू के सम्बंध में श्रीमति गीतेश कंवर से जांच की गई तो अपने बयान में मकान गिफ्टडीड करने एवं श्रीमति बृजेश कंवर के तीनो बच्चों के पढाई के सम्बंध में किये गये खर्च अपने पति स्व. श्री भंवरसिंह के द्वारा करना बताया कहा से और कैसे करते थे मुझे जानकारी नही है। जिनकी मृत्यु वर्ष 2021 में हो गई है। आयकर विवरण के सम्बंध में भी जानकारी नही होना बताया।

7. आरोपी की पत्नि श्रीमति बृजेश कंवर के कितने भाई-बहन है एवं उनकी माता श्रीमति गीतेश कंवर द्वारा अन्य पुत्र-पुत्रियों को मकान गिफ्ट किया है या नही क्या आरोपी अपनी अवैध राशी को वैध राशी घोषित कराने की नियत से सोच समझकर

मकान नम्बर 2/145 विद्याधर नगर जयपुर को अपनी सास श्रीमति गीतेश कंवर से अपनी पत्नि श्रीमति बृजेश कंवर के नाम गिफ्टडीड करना बताया है

उक्त बिन्दू के सम्बंध मे जांच की गई आरोपी की सास श्रीमति गीतेश कंवर ने अपने बयान में बताया कि उनके पति स्व. श्री भंवरसिंह 09 वर्ष तक भारतीय थल सेना में चालक बाद मे एसीडी जयपुर, कलेक्ट्री अलग-अलग विभागों मे चालक के पद पर वर्ष 1971 से 2007 तक राजकीय सेवा में रहे है। मेरे 02 लडकिया श्रीमति बृजेश व विनोद कंवर एवं एक लडका चैनसिंह है। मेरे पति द्वारा बडी बेटी बृजेश कंवर को 2/145 वर्ष 2006 मे गिफ्ट किया विनोद कंवर को नकद रूपये एवं लडके चैनसिंह को वैशालीनगर जयपुर में फ्लेट दिया था इस तरह तीनो को मेरे पति ने सम्पत्ति बाटी थी और क्या-क्या दिया वो मेरे पति ने मुझे नही बताया इसलिये मुझे जानकारी नही है । मेरी बडी बेटी बृजेश कुंवर व उसके तीनो बच्चे शुरू से मेरे पास ही रहे है इसलिये तीनो बच्चों के पढाई भी मेरे पति द्वारा ही कराई एवं पढाई का खर्चा भी उन्होने ही दिया था कितना दिया वो मुझे पता नही है। मेरे पति के सेना एवं सिविल विभाग की पेंशन एवं गाँव उदयपुरवाटी की जमीन बेचकर ही यह सब कुछ करना श्रीमति गीतेश कंवर अपने बयान में बता रही है अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है।

8. जांच रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 05 के क्रम संख्या 38 पर अंकित किया है, कि एक लाल रंग की फाईल कवर में एक आवंटन पत्र भू-खण्ड संख्या 55 क्षैत्रफल 108.8 वर्गगज प्रतापपुरा जयपुर जो सुजाता कौशिक पत्नि आनन्द प्रकाश आबावाडी, जयपुर के नाम है उक्त भू-खण्ड के सम्ंबध में जांच की गई बयान श्रीमति सुजाता कौशिक एवं उनके द्वारा पेश रिकॉर्ड से उक्त भू-खण्ड आरोपी या उसकी पत्नि का नही होना पाया जाता है भूखण्ड का असल स्वामित्व श्रीमति सुजाता कौशिक का ही है।

9. होण्डा एक्टिवा आरजे-14, एनएच-0333, टोयोटा कार नम्बर आरजे-45, सीएन-5493 की किमत आप द्वारा अनुमानित रिपोर्ट में अंकित की गई है जिला परिवहन अधिकारी के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के अनुसार होण्डा एक्टिवा आर जे 14 एनएच 0333 के क्रय राशि 66900/- रूपये एवं टोयोटा कार नम्बर आरजे-45, सीएन-5493 के क्रय राशि 7,93,900/- रूपये वास्तविक किमत अंकित की गई है।

10. जांच रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 05 के क्रम संख्या 43 पर अंकित किया है, कि महिन्द्रा एक्सयुवी 300 कार नम्बर आरजे 45 सीएल 4949 श्री नागरमल पिता रामप्रताप शर्मा निवासी सीओडी तहसील श्रीमाधोपुर से उक्त वाहन के संबंध मे जाँच की गई तो अपनी स्वंय की होना रिकार्ड एवं बयान से नागरमल की होना पाया गया। नैन सिंह सोढा की होने के संबंध मे कोई साक्ष्य नही है।

11. आरोपी की पुत्री सुश्री अनामिका, पुत्र नागेन्द्र सिंह व यतेन्द्र सिंह के शिक्षा के संबंध मे आरोपी के सास-ससुर के द्वारा कराई जाने का आरोपी द्वारा अपने अभ्यावेदन मे एवं आरोपी की सास श्रीमती गीतेश कंवर द्वारा शपथ पत्र मे अंकित कर प्रस्तुत किया है । जिस संबंध मे जांच की गई तो आरोपी के बच्चों के द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त की है एवं जिसमे खर्च भी अधिक किया गया है। आरोपी के ससुर अल्प वेतनभोगी एवं सास ग्रहणी होते हुये इतना खर्च नही कर सकते हैं । एवं इस सबंध में जांच की गई तो कोई सन्तोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत नही किये, उक्त तीनो बच्चों की पढाई का कुल खर्च अनामिका-कक्षा 1 से 12 तक केण्डलविक पब्लिक स्कुल, जयपुर 231450 एमबीबीएस भारतीय विधापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे 2013-2017 तक 3195000 नागेन्द्र सिंह-कक्षा 1 से 9 तक केण्डलविक पब्लिक स्कुल, जयपुर 145670 स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनल स्कुल जयपुर कक्षा 10 243140 शिव ज्योति उच्च माध्यमिक विधालय कोटा कक्षा 11 व 12 80000 बीटेक अमेटी युनिवर्सिटी नोएडा, यु.पी. 2049355 यतेन्द्र सिंह-कक्षा 1 से 12 तक भारतीय विधाभवन जयपुर, 459440 बीबीए St. Xavier,s college jaipur नेवटा जयपुर वर्ष 2019-20 से 2021-22 216000 खर्च किये तीनो बच्चो के कूल शिक्षा खर्च राशी 66,20,055/- रूपये से अधिक का हुआ है यह खर्च आरोपी द्वारा ही करना प्रतित होने से व्यय राशी में जोडा गया।

12. आरोपी के सरकारी आवास राजसमंद खाना तलाशी के दौरान खाता संख्या 10001549364 अनामिका सोढा के नाम हो विधानगर जयपुर एसबीआई ब्रांच का खाता हो दिनांक 07.04.2022 को शेष जमा राशि 160384 रूपये है। जीसीबी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, हॉस्पिटल बगरू जयपुर मे प्राईवेट प्रेक्टिस के दौरान वेतन से मिली राशि को उक्त खाते मे अनामिका द्वारा जमा कराना आरोपी द्वारा बताया गया है।

13. जांच रिपोर्ट के आय के परिशिष्ट क्रम संख्या 8 पर अंकित किया कि आरोपी के पिता द्वारा 18.03.1987 मे आरोपी के राजकीय सेवा मे आने से पूर्व ग्राम जालौर के खसरा नम्बर 2085 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा क्रय की गई थी। जिसमे से आरोपी के हिस्से मे 3 बीघा 2 बिस्वा आई थी जिसको वर्ष 2007 मे भवानी सिंह को 2,00000 रूपये मे बेचान की गई। जिससे आरोपी को 2,00000 रूपये की आय प्राप्त हुई उक्त आय को आरोपी द्वारा अपने वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन मे अंकित नही किया है एवं उक्त आय के संबंध मे बेचान की जमीन की रजिस्ट्री की प्रति नही होना एवं श्री भवानी सिंह की मृत्यु होना आरोपी द्वारा बताया गया है अतः उक्त 2,00000 रूपये को आय योग्य नही माना जाता है।

श्रीमान् को पुर्व में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के क्रम में श्रीमान के कार्यालय पत्र क्रमांक- 11761-62 दिनांक 27.08.2025 के ऐतराजो की बिन्दुवार पुरक रिपोर्ट विवरण प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं-

1. प्रस्तुत खानातलाशी रिपोर्ट मे आरोपी की पत्नि श्रीमती बृजेश सोढा के ट्युशन पढाने, जमा राशि पर ब्याज व किराया इत्यादि से कुल 55,48,478/- रूपये की आय होना माना है । जिस संबंध मे आरोपी से अभिलेखीय दस्तावेंजीय साक्ष्य

प्रस्तुत करने हेतु लिखा लेकिन आरोपी द्वारा आयकर विवरण के अलावा कोई दस्तावेंजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। जिससे आरोपी की पत्नि की आय मे जोडा नही गया है।

2. खाना तलाशी रिपोर्ट के प्रपत्र-ब मे क्रम संख्या 36 पर मे उल्लेखित किरायेनामे के अनुसार आरोपी की पत्नि के व्यय दस्तावेंज के अनुसार कुल कितनी आय प्राप्त हुई। जिस संबंध मे आरोपी से स्पष्टीकरण लिया गया तो आरोपी द्वारा किरायेदार मोहम्मद फरार पिता मोहम्मद इब्राहिम निवासी रामनगर द्वारा किरायानामा दिनांक 24.04.2018 को किराया राशि 25,000/- का बनाया लेकिन जिम नही चलने से उसी महिने बन्द कर दिया। उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई किराया नही दिया गया है। जिससे आरोपी व उसकी पत्नि को किसी प्रकार की कोई आय नही हुई है। जिससे उपरोक्त आय को आरोपी या आरोपी की पत्नि की आय मे जोडा नही गया है।

3. खाना तलाशी रिपोर्ट मे प्रपत्र-ब मे क्रम संख्या 35 पर उल्लेंखित इकरार नामा मे केएनबी पैलेस गार्डन किराये पर देने का उल्लेंख है। यह स्पष्ट करें की यह गार्डन क्रय करने/निर्माण आदि पर आरोपी द्वारा कितना व्यय किया गया व उपलब्ध वैध दस्तावेंज के अनुसार उक्त गार्डन से आरोपी को कितनी आय प्राप्त हुई।

इस संबंध मे आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि मेरी पत्नि के नाम गणाघरपुर, सरण्डोर मे खेती की जमीन थी जिसको 16 मई 2011 को 6600000 रूपये मे बेच कर उसी रूपयो मे से के.एन.बी. पैलेस की भुमि 4 बीघा नवम्बर 2011 मे अलग-अलग 5 नं0 रजिस्ट्री से खरीदी गई कुल 6260000/- रूपये खर्च हुये। यह खरीद निर्धारण वर्ष 2012-2013 के आयकर विवरणीका 2012 मे प्रदर्शित की हुई है। रजिस्ट्रीया श्रीमान के कार्यालय मे पूर्व मे प्रस्तुत की हुई है तथा 31.03.22 तक के.एन.बी. पैलेस के निर्माण मे 8877842 खर्च हुये है। जो 2550000/- रूपये दिनांक 06.12.2012 को खेती की जमीन जैतपुरा मे बेची से आय, 2100000/- रूपये कृष्ण इण्ड्रस्टीज फर्म से आय मे से, 2002992/- रूपये फेनेवो केपिटल प्राईवेट लिमिटेड से प्राप्त किये व 2224850/- रूपये के.एन.बी. पैलेस गार्डन किराया से प्राप्त राशि यह सभी मिलाकर वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 तक के.एन.बी. पैलेस निर्माणमे कुल 88,77,842/-रूपये खर्च किये। जो के.एन. बी. पैलेस की जमीन वैध आय से है तथा नियमानुसार आयकर रिर्टन मे असेसमेन्ट वर्ष के अनुसार दर्शाये गये है । लेकिन आरोपी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया है लेकिन साक्ष्य दस्तावेंज प्रस्तुत नही किया है। जिससे आरोपी की पत्नि की आय मे जोडा नही जाकर के.एन.बी. पैलेस निर्माण मे किया गया खर्च 88,77,842/- रूपये आरोपी के व्यय मे जोडा जाता है।

परिशिष्ठ ”अ “

आरोपित अधिकारी श्री नैन सिंह सोढा तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी राजसंमद का प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.08.1996 से पूर्व अर्जित सम्पतियों का विवरण

क्र सं- विवरण कीमत

ifjfkB ßcÞ

आरोपित अधिकारी श्री नैन सिंह सोढा तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी राजसंमद द्वारा चेक अवधि दिनांक 21.08.1996 से 07.04.2022 तक अर्जित की गई संपतियों पर किया गया व्यय

क्र सं- विवरण कीमत

1 मकान नम्बर 2/145 विद्याधर नगर जयपुर स्थित रिहायशी मकान में मिले सामानों की कीमत मुताबिक फर्दानुसार 12,74,202/-

2 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 195522599 धारक श्रीमती बृजेश सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 2,87,991 रुपये 2,87,991/-

3 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 476315476 धारक श्रीमती बृजेश सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 49,481 रुपये 49,481/-

4 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 196090180 धारक श्री नैन सिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 1,50,000 रुपये 1,50,000/-

5 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 118422463 धारक श्रीमती बृजेश सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 1,40,409 रुपये 1,40,409/-

6 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 476315478 धारक श्रीमती बृजेश सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 49,852 रुपये 49,852/-

7 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 476329304 धारक श्री नगेन्द्र सिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 1,18,432 रुपये 1,18,432/-

8 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 118422448 धारक श्री नैन सिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 61,370 रुपये 61,370/-

9 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 118422446 धारक श्री नैन सिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 82,908 रुपये 82,908/-

10 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 476328973 धारक श्री नैन सिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 1,17,392 रुपये 1,17,392/-
11 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 476314764 धारक श्री यतेन्द्र सिंह सोढ़ा में दिनांक07.04.22 तक जमा राशि 49,215 रुपये 49,215/-
12 एलआईसी पाँलिसी नम्बर नम्बर 476329303 धारक श्री नैन सिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 1,18,432 रुपये 1,18,432/-
13 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 129308174 धारक अनामिका सिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 1,26,791 रुपये 1,26,791/-
14 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 196918056 धारक श्री नैन सिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 15,000 रुपये 15,000/-
15 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 129308201 धारक श्री यतेन्द्रसिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 1,18,104 रुपये 1,18,104/-
16 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 129308173 धारक श्री नगेन्द्र सिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 1,26,273 रुपये 1,26,273/-
17 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 195510135 धारक अनामिका सिंह सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 25,000 रुपये 25,000/-
18 एलआईसी पाँलिसी नम्बर 100463278 धारक बृजेश सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 40,617 रुपये दिनांक 23.08.2011 तक जमा कराये गये इसके बाद पाँलिसी में राशि जमा नही कराई गई है। 40,617/-
19 एक विक्रय विलेख दिनांक 22.01.2005 को ग्राम गजाधपुरा पटवार हल्का सरनाचोड जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 55 बीघा 19 विस्वा रकबा 120/1119 सम्पूर्ण मे से 6 बीघा भूमि विक्रेता मन्नीदेवी वगैरा के्रता श्रीमती बृजेश कंवर जो उप पंजीयक जयपुर द्धितीय द्वारा भूमि की मालियत 9 लाख रुपये मानते हुए 58,700 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि क्रय हेतु कुल 9,58,700 रुपये का व्यय किया गया है। 9,58,700/-
20 एक विक्रय विलेख दिनांक 26.02.2007 को ग्राम सिडोलाई पटवार हल्का रोजदा जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 246, 252, 254, 263 रकबा 2.27 हैक्टर विक्रेता श्री बंशीधर क्रेता श्रीमती बृजेश कंवर, जो उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर द्वारा भूमि की मालियत 6,30,670 रुपये मानते हुए 33,050 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किया गया है । इस प्रकार उक्त भूमि क्रय हेतु कुल 6,63,720 रुपये का व्यय किया गया है। 6,63,720/-
21 एक विक्रय विलेख दिनांक 26.02.2007 को ग्राम सिडोलाई पटवार हल्का रोजदा जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 246, 252, 254, 263 रकबा 2.27 हैक्टर विक्रेता श्री जयनारायण क्रेता श्रीमती बृजेश कंवर, जो उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर द्वारा भूमि की मालियत 12,61,335 रुपये मानते हुए 70,690 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि क्रय हेतु कुल 13,32,025 रुपये का व्यय किया गया है। 13,32,025/-
22 एक विक्रय विलेख दिनांक 23.06.2008 को ग्राम जेतपुरा पटवार हल्का जेतपुरा जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 105, 106, 108, 134, 133/2275, 107/2231 की कृषि भूमि विक्रेता श्रीमती राजकंवर क्रेता श्रीमती बृजेश कंवर, जो उप पंजीयक तृतीय जिला जयपुर द्वारा भूमि की मालियत 19,08,000 रुपये मानते हुए 74,480 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि क्रय हेतु कुल 19,82,480 रुपये का व्यय किया गया है। 19,82,480/-
23 एक विक्रय विलेख दिनांक 23.06.2008 को ग्राम जेतपुरा पटवार हल्का जेतपुरा जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 103, 104 व 110/2272 की कृषि भूमि विक्रेता श्रीमती राजकंवर क्रेता श्रीमती बृजेश कंवर, जो उप पंजीयक तृतीय जिला जयपुर द्वारा भूमि की मालियत 10,98,000 रुपये मानते हुए 26,580 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि क्रय हेतु कुल 11,24,580 रुपये का व्यय किया गया है। 11,24,580/-
24 एक विक्रय विलेख दिनांक 02.11.2011 को ग्राम हाडोता तहसली चैमू जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 1898 रकबा 0.29 हैक्टर विक्रेता श्री अमित सोनी क्रेता श्रीमती बृजेश कंवर, जो उप पंजीयक चैमू जिला जयपुर द्वारा भूमि की मालियत 8,38,130 रुपये मानते हुए 33,530 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि क्रय हेतु कुल 8,71,660 रुपये का व्यय किया गया है। 8,71,660/-
25 एक विक्रय विलेख दिनांक 01.11.2011 को ग्राम हाडोता तहसली चैमू जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1900 रकबा 0.66 हैक्टर विक्रेता श्री अमित सोनी क्रेता श्रीमती बृजेश कंवर, जो उप पंजीयक चैमू जिला जयपुर द्वारा भूमि की मालियत 10,00,000 रुपये मानते हुए 40,000 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि क्रय हेतु कुल 10,40,000 रुपये का व्यय किया गया है।
10,40,000/-26 एक विक्रय विलेख दिनांक 05.08.2011 को ग्राम हाडोता तहसली चैमू जिला जयपुर की कृषि भूमि

खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.43, खसरा नम्बर 1899 रकबा 0.1 हैक्टर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 0.66 हैक्टर, 1898 रकबा 0.29 हैक्टर विक्रेता श्री अमित सोनी क्रेता श्रीमती बृजेश कंवर, जो उप पंजीयक चैमू जिला जयपुर द्वारा भूमि की मालियत 31,25,631 रुपये मानते हुए 1,25,030 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि क्रय हेतु कुल 32,50,662 रुपये का व्यय किया गया है। 32,50,662/-

27 एक विक्रय विलेख दिनांक 01.11.2011 को ग्राम हाडोता तहसली चैमू जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.43, खसरा नम्बर 1898 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 0.66 हैक्टर विक्रेता श्री अमित सोनी क्रेता श्रीमती बृजेश कंवर, जो उप पंजीयक चैमू जिला जयपुर द्वारा भूमि की मालियत 10,00,000 रुपये मानते हुए 40,000 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि क्रय हेतु कुल 10,40,000 रुपये का व्यय किया गया है। 10,40,000/-

28 एक विक्रय विलेख दिनांक 01.11.2011 को ग्राम हाडोता तहसली चैमू जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1897 रकबा 0.43, खसरा नम्बर 1898 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 0.1 हैक्टर विक्रेता श्री अमित सोनी क्रेता श्रीमती बृजेश कंवर, जो उप पंजीयक चैमू जिला जयपुर द्वारा भूमि की मालियत 1,46,621 रुपये मानते हुए 5870 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि क्रय हेतु कुल 1,52,491 रुपये का व्यय किया गया है। 1,52,491/-

29 एक विक्रय विलेख दिनांक 16.03.2000 आवासीय भूखण्ड संख्या 23 ए चोपासनी हाउसिंग बोर्ड पाल रोड जोधपुर विक्रेता श्रीमती कमलादेवी के्रता श्री नैनसिंह द्वारा क्रय किया गया है, जिसे उप पंजीयक प्रथम जोधपुर द्वारा भूखण्ड की मालियत 89,520 रुपये मानते हुए पंजीयन व अन्य शुल्क 8,955 रुपये वसुल किया गया। इस प्रकार उक्त भूंखण्ड को क्रय करने में कुल 98,475 रुपये का व्यय किया गया है। 98,475/-

30 एक विक्रय विलेख दिनांक 30.01.2008 भूखण्ड संख्या 75 ग्राम उचीयारडा तहसील व जिला जोधपुर विक्रेता श्रीमती भंवर कंवर क्रेता श्री नैनसिंह द्वारा क्रय किया गया है, जिसे उप पंजीयक तृतीय जोधपुर द्वारा भूंखण्ड की मालियत 2,76,000 रुपये मानते हुए पंजीयन व अन्य शुल्क 17,940 रुपये वसुल किया गया। इस प्रकार उक्त भूंखण्ड को क्रय करने में कुल 2,93,940 रुपये का व्यय किया गया है। 2,93,940/-

31 एक विक्रय विलेख दिनांक 30.11.2015 भूंखण्ड संख्या 1 गोरधन विलास फ्लेट संख्या 103 विक्रेता मैसर्स श्री स्तम्भ कोलोनाइजर उदयपुर के प्रोपराईटर श्री राजीव सुवालका व क्रेता श्री नैनसिंह द्वारा क्रय किया गया। उप पंजीयक उदयपुर द्वारा फ्लैट की मालियत 28,70,000 रुपये मानते हुए पंजीयन व अन्य शुल्क 1,43,500 रुपये वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त फ्लेट को क्रय करने में कुल 30,13,500 रुपये का व्यय किया गया है। 30,13,500/-

32 एक कृषि भूमि खसरा नम्बर 396/201 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा ग्राम जसाई जिला बाड़मेर विक्रेता श्री दिपसिंह जसाई व क्रेता श्री नैनसिंह द्वारा दिनांक 15.01.2018 को क्रय की गई है। आरोपी द्वारा उक्त भूमि विक्रय विलेख के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है परन्तु अपने अभ्यावेदन में उक्त भूमि 1,60,980 रुपये में क्रय करना व 9,800 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क पर व्यय करना बताया है। इस प्रकार उक्त भूमि हेतु कुल 1,70,780 रुपये का व्यय किया गया है। 1,70,780/-

33 एलआईसी पाँलिसी बीमा गोल्ड नम्बर 195522599 धारक श्रीमती बृजेश सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि उक्त पाँलिसी क्रम संख्या 2 से संबधित है।

34 एक लीज एग्रीमेन्ट प्लांट नम्बर एच 21 जो 838 वर्गमीटर कालाडेरा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया जयपुर जो श्रीमती बृजेश सोढा पत्नि नैनसिंह के नाम को जरिये विक्रय विलेख से मैसर्स राधारमण इण्डस्ट्रीज जरिये प्रोपराइटर श्री सुरेश कुमार अग्रवाल निवासी जयपुर से श्रीमती बृजेश सोढ़ा के नाम से दिनांक 03.03.2010 को क्रय किया गया है। उप पंजीयक चैमू जयपुर द्वारा उक्त भूंखण्ड की मालीयत 16,18,736 रुपये मानते हुए पंजीयन व अन्य शुल्क 81,040 रुपये वसुल किया गया है। इस प्रकार उक्त भूंखण्ड हेतु 16,99,776 रुपये व्यय किया गया है। 16,99,776/-

35 एक मूल इकरारनामा दिनांक 02.10.17 प्रथम पक्ष श्रीमती बृजेश सोढा पत्नि श्री नैनसिंह बहक श्री मोहनलाल जांगिढ पुत्र श्री सूरज मल जांगिड निवासी प्लाँट नं ए 50 पथ नं 6 कानाराम नगर सीकर रोड जयपुर के पक्ष में केएनबी पैलेस गार्डन जो कि हाडौती स्टेण्ड चोमू जिला जयपुर में स्थित है। उक्त दस्तावेज क्रम संख्या 20 से संबधित भूमि का है। आरोपी की पत्नि द्वारा उक्त भूमि को किराये पर चलाने हेतु श्री मोहनलाल को अनुबंध किये गये से संबधित दस्तावेज है। जिसमे आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि उक्त सम्पत्ति 62,60,000/- रूपये मे क्रय की एवं के.एन.बी. पैलेस निर्माण मे 88,77,842/- रूपये मे खर्च होना जिस संबंध मे कोई दस्तावेंज प्रस्तुत नही किये है।
88,77,842/-

36 एक मूल किरायानामा 500 रुपये के स्टाम्प पर दिनांक 24.04.18 जो कि मोहम्मद फरान पुत्र मोहम्मद इब्राहीम निवासी 587 रामनगर शास्त्री कोलोनी जयपुर के द्वारा श्रीमती बृजेश सोढा पत्नि श्री नेनसिंह के हक में निष्पादित बाबत मकान नम्बर 2/145 विद्याधर नगर जयपुर के बेसमेन्ट को 25,000 रुपये किराये पर लेने के संबध में उक्त दस्तावेज आरोपी के रिहायशी मकान 2/145 विद्याधर नगर जयपुर से संबधित है तथा आरोपी द्वारा उक्त भवन के बेसमेन्ट को मासिक किराये

पर देना बताया है लेकिन एक महीने के अन्दर ही वापस खाली कर देने से कोई किराया प्राप्त नही होना आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण मे बताया है। इसलिये उक्त राशि आय-व्यय मे जोडी नही गई है। -

37 एक फोटो कॉपी गिफ्ट डीड श्रीमती गितेश कंवर पत्नि श्री भंवरसिंह निवासी प्लॉट नम्बर सी 21 आम्बाडी जयपुर द्वारा श्रीमती बृजेश कंवर पत्नि श्री नैनसिंह सोढा निवासी लक्ष्मीनगर इन्जीनियर हाउस पुलिस लाईन के सामने बाडमेर। आरोपी वक्त टेaप कार्यवाही रिहायशी मकान नम्बर 2/145 विद्याधर नगर जयपुर में अपने परिवार के साथ निवास करना पाया गया है। उक्त भूंखण्ड व मकान को आरोपी की पत्नि श्रीमती बृजेश को उसकी माता श्रीमती गितेश कंवर द्वारा दिनांक 03.05.2006 को जरिये दानपत्र से उक्त भूंखण्ड मय मकान को दिया गया है। उप पंजीयक जयपुर द्वितीय द्वारा उक्त प्लांट व भवन की मालीयत 32,16,851 रुपये मानते हुए 1,60,850 रुपये पंजीयन व अन्य शुल्क वसुल किये गये है। इस प्रकार उक्त भूंखण्ड व भवन का मूल्य 33,77,701 रुपये है। आरोपी की पत्नि को उक्त भूंखण्ड उसकी माता ने जरिये दानपत्र से दिया गया है। - -

38 एक लाल रंग की फाईल कवर में एक आवंटन पत्र भूंखण्ड संख्या 55 क्षेत्रफल 108.8 वर्गगज नवयुवक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना मां भगवती नगर 4 जो प्रतापपुरा जोबनेर जो कि सुजाता कौशिक पत्नि श्री आनन्द प्रकाश कौशिक निवासी 6 खण्डेलवाल टावर के पास विवेकानंद कोलोनी आम्बाबाडी जयपुर के नाम है आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण बयानों में बताया कि उक्त भूंखण्ड श्रीमती सुजाता कौशिक का है जो उनके पडौसी है तथा उनकी पत्नि श्रीमती बृजेश सोढा की सहेली है श्रीमती सुजाता के जयपुर से बाहर जाने के दौरान उनके द्वारा श्रीमती बृजेश को उक्त दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखने के लिये दिये थे जिस सबंध में जांच की गई, बयान एवं रिकॉर्ड से श्रीमति सुजाता कोशिक के नाम उक्त भुखण्ड दस्तावेज होना पाया गया है जो वक्त खाना तलाशी में बरामद हुए थे। -

39 एक पानी का बिल खाता संख्या 04सी 11-058 जो श्रीमती गीतेश कंवर पत्नि श्री भंवरसिंह निवासी 2/145 विद्याधर नगर जयपुर के नाम जिसमें बिल राशि 384 रुपये अंकित है। उक्त बिल आरोपी के रिहायशी मकान से संबधित है।

40 एक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बिजली का बिल खाता संख्या 1705/0357 जो श्रीमती गीतेश कंवर पत्नि श्री भंवरसिंह निवासी 2/145 विद्याधर नगर जयपुर के नाम से जिसमें बिल राशि 20,750 रुपये है। उक्त बिल आरोपी के रिहायशी मकान से संबधित है।

41 एक होण्डा एक्टिवा नंम्बर आरजे 14 एनएच 0333 की आरसी की फोटो प्रति। उक्त वाहन आरोपी के पुत्र श्री नागेन्द्रसिंह सोढा के नाम है तथा उक्त वाहन दिनांक 18.12.2017 को क्रय करने हेतु आरोपी द्वारा करीब 70 हजार रुपये का व्यय किया गया है। 66,900/-

42 एक टोयटा की ग्लान्जा कार नम्बर आरजे 45 सीएन 5493 अनामिका सोढा के नाम आरसी की फोटो प्रति। उक्त वाहन आरोपी की पुत्री अनामिका के नाम है तथा उक्त वाहन दिनांक 19.02.2021 को क्रय किया गया है। वाहन क्रय करने हेतु करीब 10 लाख रुपये का व्यय किया गया। 7,93,000/-

43 एक महेन्द्रा एक्सयुवी 300 कार नम्बर आरजे 45 सीएल 4949 जो श्री नागर मल के नाम से है जो श्री नैनसिंह सोढा द्वारा क्रय की गई है परन्तु नाम ट्रान्सफर नही करवाया है कि आरसी फोटो प्रति। आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि उक्त वाहन अपने रिस्तेदार को क्रय करना था जिस हेतु अपने परिचित श्री नागरमल से आरसी की फोटो कॉपी लाया था जो वक्त तलाशी के दौरान बरामद हुई थी। आरोपी द्वारा उक्त वाहन पर किसी प्रकार का व्यय नही किया गया है। -

44 एक अमेठी यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीस की स्लिप श्री नागेन्द्र सिंह पुत्र श्री नैनसिंह सोढा के नाम से 2,03000 रुपये की । आरोपी के बच्चों की शिक्षा पर किया गया व्यय की गणना संबधित प्रपत्र में अंकित किया गया है। - -

45 एक GSTIN 08AAQFC6652AIZG, CINCO Company पार्टनरशीप में श्री चेतन करनावत के साथ श्री यतेन्द्रसिंह सोढा द्वारा संचालित की जा रही है की फोटो प्रति एवं साक्ष्य संलग्न है।

-46 एक रसीद नम्बर 374 सेन्ट जेवीयर कॉलेज हथरोई फोर्ट रोड जयपुर की फोटोप्रति -

47 एसबीआई बैक खाता संख्या 10001549375 संयुक्त धारक श्री नैन सिंह सोढा व श्रीमती बृजेश सोढा में अन्तिम शेष 1,08,317 रुपये 1,08,317/-

48 एसबीआई बैक खाता संख्या 10001526947 धारक श्री नैन सिंह सोढा में अन्तिम शेष 3,79,297 रुपये 3,79,297/-

49 एसबीआई बैक खाता संख्या 61251194651 धारक श्री यतेन्द्रसिंह सोढा के नाम है उक्त खाता सेवन से 61261194651 की जगह 61251194651 दर्ज हुआ है खाता सही हो यतेन्द्रसिंह के नाम से हैं जिसमे शेष 1,16,914/- 1,16,914/-

50 एसबीआई बैक खाता संख्या 10153185968 धारक श्रीमती बृजेष सोढा में अन्तिम शेष 37,914 रुपये 37,914/-

51 एसबीआई बैक खाता संख्या 33922904255 धारक श्री नगेन्द्र सिंह सोढा में अन्तिम शेष 1,28,844 रुपये 1,28,844 /-

52 आईसीआइसीआई बैक खाता संख्या 065001514403 धारक श्री यतेन्द्र सिंह सोढा में अन्तिम शेष 8,725 रुपये 8,725/-

53 देना बैंक खाता संख्या 095410003523 की चैक बुक धारक श्रीमती बृजेष सोढा के नाम हो उक्त खाता बैक ऑफ़ बडौदा में मर्ज हो परिशिष्ठ क्रम सं. 58 पर दर्ज है उक्त खाता परिशिष्ठ क्रम संख्या 58 से संबधित है तथा देना बैंक जो बीओबी बैंक में मर्ज है।

54 खाना तलाशीके दौरान मिली नगद राषि 10,300 रुपये 10,300/-

सरकारी आवास नम्बर II /2 राजसंमद पर मिले सामानों की कीमत मुताबिक फर्दानुसार

55 एसबीआई खाता संख्या 51088600213 की चैक बुक धारक श्री नैनसिंह सोढा एवं उक्त खाते में दिनांक 07.04.22 तक अन्तिम शेष उक्त चेक बुक क्रम संख्या 48 पर अंकित खाते से संबधित है।

56 एसबीआई खाता संख्या 51088600213 की चैक बुक धारक श्री नैनसिंह सोढा उक्त चेक बुक क्रम संख्या 48 पर अंकित खाते से संबधित है।

57 बैंक ऑफ़ बडौदा खाता संख्या 72800100011250 धारक श्री नागेन्द्रसिंह सोढा में अन्तिम शेष 17,183 रुपये 17,183/-

58 बैंक ऑफ़ बडौदा खाता संख्या 72800100007525 धारक श्रीमती बृजेष सोढा में अन्तिम शेष 47,917 रुपये 47,917 /-

59 आईसीआईसीआई बैक खाता संख्या 065001000723 धारक श्रीमती बृजेष सोढा में अन्तिम शेष 1,428 रुपये 1,428 /-

60 आईसीआईसीआई बैक खाता संख्या 678901700402 धारक नैनसिंह सोढा में अन्तिम शेष 4,558 रुपये 4,558/-

61 एसबीआई बैक खाता संख्या 51088600213 धारक श्री नैनसिंह सोढा मे अन्तिम शेष 18,24,581 रुपये 18,24,581 /-

62 एसबीआई बैक खाता संख्या 33922904255 धारक श्री नगेन्द्रसिंह सोढा मे अन्तिम शेष यह खाता क्रम संख्या 38 से संबधित है।

63 एसबीआई बैक खाता संख्या 10153185968 धारक श्रीमती बृजेष सोढा मे अन्तिम शेष यह खाता क्रम संख्या 37 से संबधित है।

64 एसबीआई बैक खाता संख्या 10001549364 धारक अनामिका सोढा मे अन्तिम शेष 1,60,382 रुपये 1,60,382/-

65 सरकारी आवास नम्बर II/2 राजसंमद पर मिली नगद राषि 1,30,000 रुपये बरामद हुए थे। आरोपी ने मौके पर उक्त राषि अपने सर्वेन्ट पुखराज की होना बताया था तथा श्री पुखराज द्वारा माननीय एसीबी कोर्ट उदयपुर में भी उक्त राशि स्वंय की होना बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं जांच, बयान, रिकॉर्ड से उक्त राशि आरोपी की नही होकर श्री पुखराज की माना जाना उचित रहेगा। -

66 सरकारी आवास नम्बर II /2 राजसंमद पर मिले सामान की किमत फर्दानुसार 1,24,200/-

67 आरोपी के पुत्र नागेन्दसिंह, यतेन्द्रसिंह व पुत्री अनामिका के शिक्षा में किया गया खर्च 66,20,055/-

कूल योग 4,00,16,890/-

परिशिष्ठ "स"

आरोपित अधिकारी श्री नैनसिंह सोढ़ा तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद के प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.08.1996 से 07.04.2022 तक प्राप्त आय

क्र सं- विवरण कीमत

1 आरोपी दिनांक 21.08.1996 को परिवहन विभाग में परिवहन उप निरीक्षक के पद पर पदस्थापित हुआ तथा वर्ष 2003 में परिवहन निरीक्षक पद पर पदौन्नत हुआ तथा वर्ष 2016 में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर पदौन्नत हुआ। आरोपी को उक्त अवधी में वेतन भत्तों के रूप में आयकर कटौती के पश्चात् शुद्ध आय 77,99,678 रुपये पाई गई है। 77,99,678/-

2 एलआईसी पॉलिसी नम्बर 195522599 धारक श्रीमती बृजेश सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशी 2,87,991 रुपये। उक्त पॉलिसी मनीबेक होने से आरोपी को दिनांक 14.01.2010, दिनांक 11.02.2014, दिनांक 28.03.2018 एवं दिनांक 28.02.2022 को 50-50 हजार रुपये प्राप्त हुए है जो, कुल 2,00,000 रुपये की आय प्राप्त हुई। 2,00,000/-

3 एलआईसी पॉलिसी नम्बर 100463278 धारक बृजेष सोढ़ा में दिनांक 07.04.22 तक जमा राशि 40,617 रुपये दिनांक 23.08.2011 तक जमा कराये गये इसके बाद पॉलिसी में राशि जमा नही कराई गई है तथा पॉलिसी मनीबैक होने से वर्ष 2003 व 2008 में 10-10 हजार रुपये कुल 20 हजार रुपये आरोपी को प्राप्त हुए है। 20,000/-

4 आरोपी की पत्नी श्रीमती बृजेश सोढा के वर्ष 2003-04 से 2022-23 तक आयकर विभाग में आयकर विवरिणिका अनुसार प्राप्त आय 55,48,478 रुपये की आय ट्युशन, ट्रेडिंग , जमा राशि पर ब्याज व किराया इत्यादि की होना बता रहा है। परन्तु उक्त संबंध मे कोई दस्तावेंजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। इसलिए उक्त आय को आरोपी की प्राप्त आय मे जोडा नही गया है। -

5 ग्राम सिडोलाई पटवार हल्का रोजदा जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 246, 252, 254, 263 रकबा 2.27

हैक्टर को श्री बंशीधर से श्रीमती बृजेश कंवर द्वारा क्रय की गई थी। उक्त कृषि भूमि को दिनांक 23.06.2008 को पुनः श्रीमती लाडकुंवर को राशि 13,60,000 रुपये में विक्रय करने से श्रीमती बृजेश सोढा को आय प्राप्त हुई है। 13,60,000/-

6 ग्राम गजाधपुरा पटवार हल्का सरनाचोड जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 55 बीघा 19 विस्वा रकबा 120/1119 सम्पूर्ण मे से 6 बीघा भूमि को मन्नीदेवी वगैरा से श्रीमती बृजेश कंवर द्वारा क्रय की गई थी। उक्त कृषि भूमि को दिनांक 16.05.2011 को पुनः श्री रमेश को राशि 66,00,000 रुपये में विक्रय करने से श्रीमती बृजेश सोढा को आय प्राप्त हुई है। 66,00,000/-

7 ग्राम जेतपुरा पटवार हल्का जेतपुरा जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 105, 106, 108, 134, 133/2275, 107/2231 की कृषि भूमिको श्रीमती राजकंवरसे श्रीमती बृजेश कंवर एवं ग्राम जेतपुरा पटवार हल्का जेतपुरा जिला जयपुर की कृषि भूमि खसरा नम्बर 103, 104 व 110/2272 की कृषि भूमिको श्रीमती राजकंवरसे श्रीमती बृजेश कंवर द्वारा क्रय की गई थी। उक्त कृषि भूमि को दिनांक 26.12.2012 को श्री अर्जुन चैधरी वगैरा को राशि 51,74,000 रुपये में विक्रय की गई है, जिससे श्रीमती बृजेश कुंवर को आय प्राप्त हुई है। 51,74,000/-

8 आरोपी नैनसिंह सोढा के पिता श्री किशनसिंह द्वारा दिनांक 18.03.1987 में आरोपी के राजकीय सेवा में आने से पूर्व ग्राम जालोर जिला जालोर में खसरा नम्बर 2085 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा क्रय की गई थी, जिसमें आरोपी के हिस्से मे करीब 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि आने से उसके द्वारा वर्ष 2007 में श्री भवानीसिंह को 2,00,000 रुपये में बेचान की गई, जिससे आरोपी को 2,00,000 रुपये की आय होना बता रहा है लेकिन उस सबंध में कोई रिकॉर्ड या साक्ष्य नही है जिससे आरोपी के आय से हटाया जाता है। -

कुल योग 2,11,53,678/-

परिशिष्ठ ”द“

आरोपित अधिकारी श्री नैनसिंह सोढ़ा तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद द्वारा चेक पीरियड अवधी दिनांक 21.08.1996 से 07.04.2022 तक किया गया व्यय

क्र.सं. विवरण कीमत

1 आरोपी को चैक पीरियड दिनांक 21.08.1996 से ट्रैप दिनांक 07.04.2022 तक सकल वेतन के रूप मे मिली राशि 82,85,727 में से आयकर राशी 1,91,811/-रुपये कटोती करने के उपरान्त शेष रहा वेतन 80,93,916 में से 33 प्रतिशत असत्यापन योग्य राशि 26,70,992 रुपये है। 26,70,992/-

2 आरोपी द्वारा उसके वाहनों के रख रखाव व फ्युल पर अनुमानित खर्च 2,00,000/- 200000@

कुल योग 28,70,992 रुपये

क. चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य- शून्य
ख. चैक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य- 4,00,16,890 रुपये
ग. चैक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (ख-क) -4,00,16,890 रुपये
घ. चैक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि-2,11,53,678 रूपये
ड. चैक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि-28,70,992 रुपये
च. चैक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (गड)- 4,28,87,882 रुपये
छ. आय से अधिक सम्पत्ति की राशि (च-घ) -2,17,34,204 रुपये
ज. आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत(छ/घX100- 2,17,34,204/2,11,53,678 X100 102.74

इस प्रकार आरोपी श्री नैनसिंह सोढ़ा को आलोच्य अवधि दिनांक 21.08.1996 से 07.04.2022 तक ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आरोपी की आय 2,11,53,678 रूपये होकर अर्जित सम्पति का मूल्य 4,00,16890 रुपये एवं व्यय राशि 28,70,992 रुपये की पाई गई है। सम्पत्ति तथा व्यय राशि का जोड 4,28,87,882 रुपये को उपरोक्त आय 2,11,53,678 रूपये में से घटाने पर 2,17,34,204 रुपये की आय 102.74 प्रतिशत अधिक है।

इस प्रकार आरोपी श्री नैनसिंह सोढ़ा पिता किशन सिंह सोढा निवासी मकान नम्बर 2/145 विद्याधर नगर जयपुर तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद के द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर उक्तर आलोच्यअ अवधि के दौरान अपनी कुल वैध आय से अधिक की परिसम्पंत्तियां अर्जित करना प्रमाणित है। आरोपी श्री नैनसिंह सोढ़ा पिता किशन सिंह सोढा निवासी मकान नम्बर 2/145 विद्याधर नगर जयपुर तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद द्वारा

किया गया उक्तस कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।अतः आरोपी श्री नैनसिंह सोढ़ा पिता किशन सिंह सोढा निवासी मकान नम्बर 2/145 विद्याधर नगर जयपुर तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध करने बाबत बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है भवदीय, (रतनसिंह राजपुरोहित)पुलिस उप अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो, डूंगरपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नैनसिंह सोढ़ा पिता किशन सिंह सोढा उम्र 62 वर्ष निवासी मकान नम्बर 2/145 विद्याधर नगर जयपुर तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 95 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 187-90 दिनांक 07.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RISHIKESH MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/02/2026 12:26:08

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1963				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)